



20/4/23

पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गावों के संघ अभियान-2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकाराम को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प मैट्रब दिनांक 7/6/23 को पेश हो।

2/6/23

पत्रावली कागज कोम्प पेश हुई। प्रकरण में पत्रावली के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की चालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 17/07/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

डिप्टी कमिश्नर  
वाडी

17/07/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डिप्टी कमिश्नर (उप.) अधिवक्ता डिप्टी कमिश्नर द्वारा उक्त डिप्टी कमिश्नर की चालना हो जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया। अतः उक्त डिप्टी की चालना हो जाने से अब इस पत्रावली को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जा रहा है। पत्रावली कैम्पल नुम्बर होकर नम्बर से कम हो।



सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली